संख्या-11/2016/416/22-2-2016-17(13)/2014

प्रेषक,

राम विशाल मिश्र,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ.।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 10 मार्च, 2016

विषय:- सिद्धदोष बन्दी कृष्णपाल उर्फ इलौटी पुत्र श्री मिश्रीलाल निवासी ग्राम नगला भगवान, थाना शाहाबाद, जिला हरदोई की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई हेतु नवीन अभिभावक नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश सं0-177/2015/755/22-2-2014-17(13)/2014, दिनांक 30 नवम्बर, 2015 द्वारा बन्दी कृष्णपाल उर्फ इलौटी पुत्र श्री मिश्रीलाल की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई हेतु अनुज्ञा प्रदान की गयी थी। उक्त शासनादेश के साथ संलग्न लाइसेन्स की प्रति में उक्त कैदी का अभिभावक उसकी पत्नी श्रीमती आरती देवी निवासी-ग्राम नगला भगवान, थाना शाहाबाद, जिला हरदोई को नियुक्त किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई के पत्र सं0'2263-64/प्रोबे0/बन्दी/ फार्म-ए-लाइसेन्स/2015-16 दिनांक 17.02.2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि कैदी के अभिभावक श्रीमती आरती देवी की दिनांक 26.04.2015 को मृत्यु हो गयी है तथा उसके स्थान पर कैदी के पुत्र श्री संदीप को उपयुक्त बताते हुए नवीन अभिभावक नियुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है।

2- अत: प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई की उक्त संस्तुति को द्रष्टिगत रखते हुए उक्त शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर, 2015 के साथ संलग्न लाइसेन्स फार्म-घ (डी) में कैदी कृष्णपाल उर्फ इलौटी पुत्र श्री मिश्रीलाल का "अभिभावक उसकी पत्नी आरती देवी" के स्थान पर "अभिभावक उसका पुत्र श्री संदीप" पढे. जाने हेतु लाइसेन्स संशोधित किया जाता है।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर, 2015 के साथ संलग्न लाइसेन्स इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। लाइसेन्स की अन्य शर्तें/प्राविधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या-416/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई को उनके पत्र सं0'2263-64/प्रोबे0/बन्दी/ फार्म-ए-लाइसेन्स/2015-16/दिनांक 17.02.2016 के संदर्भ में ।
3- पुलिस अधीक्षक, हरदोई ।
4- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in